संख्या-254/2018/2390/22-2-2017-17(550)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 26 मार्च, 2018**

विषय:-जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सीमित सजा के दण्ड से दण्डित सिद्धदोष बन्दी बब्लू रायकवार पुत्र श्री पारीक्षत रायकवार, निवासी जनपद-झांसी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-33907/पर-7/सीमित सजा/(एम-14.09.2017) दिनांक 18.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सीमित सजा के दण्ड से दण्डित सिद्धदोष बन्दी बब्लू रायकवार पुत्र श्री पारीक्षत रायकवार, जो सुकुंवा ढुकवा कालोनी, थाना-नवाबाद, जनपद-झांसी का रहने वाला है। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती रूपा को दहेज के लिये प्रताडित किया जाता था, इसी कारण दिनांक 07.07.2009 को समय लगभग 06:30 बजे बन्दी की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-250/2009 में भा0द0वि0 की धारा-306 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), झांसी के आदेश दिनांक 23.04.2014 द्वारा 06 वर्ष कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.04.2017 तक 03 वर्ष 01 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष 09 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति एवं प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर पया गया कि प्रकरण में समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बब्लू रायकवार (बन्दी संख्या-241/14) पुत्र श्री पारीक्षत रायकवार, निवासी जनपद-झांसी के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-254/2018/2390(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-झांसी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, झांसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-254/2018/2390@22-2-2017-17(550)/2017
दिनांक 26 मार्च, 2018 का संलग्नक
<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सीमित सजा के दण्ड से दण्डित सिद्धदोष बन्दी बब्लू रायकवार पुत्र श्री पारीक्षत रायकवार, जो सुकुंवा ढुकवा कालोनी, थाना-नवाबाद, जनपद-झांसी का रहने वाला है। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती रूपा को दहेज के लिये प्रताडित किया जाता था, इसी कारण दिनांक 07.07.2009 को समय लगभग 06:30 बजे बन्दी की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-250/2009 में भा0द0वि0 की धारा-306 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), झांसी के आदेश दिनांक 23.04.2014 द्वारा 06 वर्ष कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.04.2017 तक 03 वर्ष 01 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष 09 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति एवं प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर पया गया कि प्रकरण में समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।